सं. 1/2/2016-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली 04 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में सरकार का निर्णय - 01.07.2016 से लागू दरें।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महंगाई भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 01.07.2016 से प्रति माह मूल वेतन के 2 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य होगा।

2. 1 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में संशोधन-पूर्व वेतन संरचना में 01.01.2016 से संस्वीकृत 125% महंगाई भत्ता शामिल है। इसलिए, संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता 01.01.2016 से शून्य होगा।

3. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

4. सरकार ने दिनांक 25.07.2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के तहत निर्णय लिया है कि वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान मौजूदा दरों पर किया जाता रहेगा।

5. यह महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

6. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और यदि यह अंश 50 पैसे से कम है तो उसे नजरअंदाज किया जाए।

7. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

8. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।